कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/60/2022

सोरभ मोहन शर्मा पुत्र राममोहन शर्मा सिरकी हनुमान जी के पास, बुद्ध की हाट, भरपतुर।

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 25.8.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट सोरभ मोहन शर्मा पुत्र राममोहन शर्मा सिरकी हनुमान जी के पास, बुद्ध की हाट, भरपतुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 23.5.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/584 दिनांक 4.8.2022 से तहसीलदार भरतुपर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2022/1487 दिनांक 22.8.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने चाही गई सूचना उसे उपलबध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। तहसीलदर, भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2022/1487 दिनांक 22.8.2022 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2022 पर गौर किया गया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्र कमांक/रीडर/आरटीआई/2022/1486 दिनांक 22.08.2022 से सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) भिजवायें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर